

जवाहर नवोदय विद्यालय रूधौली, बस्ती
टकशॉप हेतु निविदा फार्म 2017-18

क्र.सं.	वस्तु का नाम	समयावधि	प्रतिमाह किराया
1	विद्यालय में टक शॉप का किराया (छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग जगह पर प्राचार्य के निर्देशानुसार दुकान खोलनी होगी)	01.07.2017 से 30.04.2018 तक	

नियम एवं शर्तें:-

1. अधिकृत किराया वाले व्यक्ति को टकशॉप देय होगा।
2. टकशॉप में केवल समय सीमा तथा गुणात्मक वस्तुओं की बिक्री की जायेगी।
3. एम0आर0पी0 से अधिक मूल्य पर बिक्री नहीं की जायेगी।
4. प्रतिबंधित वस्तुओं गुटका, सिगरेट, पान मसाला आदि की बिक्री नहीं की जायेगी।
5. छात्राओं के टकशॉप हेतु केवल महिलाएं ही अधिकृत हैं।
6. विद्यालय प्रशासन के समस्त आदेशों का पालन करना होगा।
7. टकशाप पर फोन कराने हेतु उचित रिकार्ड रखना होगा तथा उचित दरें ही स्वीकार्य होगी।
8. विद्यालय टकशॉप का समय अपराहन 03:00 से 04:30 के मध्य होगा।

दिनांक :-

हस्ताक्षर निविदादाता
फर्म की मुहर एवं पूरा पता